



# उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या -  
डी-३/ई-१/२०२५  
दिनांक २०.०६.२०२५

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : २०.०६.२०२५

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: २१.०७.२०२५  
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: २८.०७.२०२५  
अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि

और समय: ०४.०८.२०२५ (सायं ०५:०० बजे तक)

## महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ०टी०आर० नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के ७२ घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओ०टी०आर० नम्बर प्राप्त कर लें।

(c) ओ०टी०आर० नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइल समिशन, अहंता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अहंता हों।

**नोट-** (1) अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक / वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियोगी संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के सायं ५.०० बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्ची को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चर्चा करते हेतु आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑन-लाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अमाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की विधियों में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन-पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें।

(4) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पर्ची (Address Slip) लिफाफे पर चर्चा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

**विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) अभ्यर्थीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं / निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें / निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

**1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के लिये आवश्यक सूचना**

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार ही आवेदन करें:

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

(i) User Instructions  
(ii) View Advertisement  
(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थीयों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots प्रदर्शित होंगे।

'ऑन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा—

**प्रथम चरण :-** 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि—

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter

your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अहंता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो— a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

**द्वितीय चरण:-** प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर विलक करना होगा जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अहंतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अहंताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

**तृतीय चरण:-** द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर विलक करने के पश्चात 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे—

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अहंतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अहंताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

**नोट-** (i) अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग— आवेदन शुल्क रु ८०/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु २५/- – योग = रु १०५/-

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति — आवेदन शुल्क रु ४०/- + ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसूचित शुल्क रु २५/- – योग = रु ६५/-

(iii) दिवांग श्रेणी — आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु २५/- – योग = रु २५/-

(iv) भूतपूर्व सेनिक — आवेदन शुल्क रु ४०/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु २५/- – योग = रु ६५/-

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आंतरित / महिला / कुशल खिलाड़ी

प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थीयों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपचार्यिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुत वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन / आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या स्त्री के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपर

● उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली— 2019 (यथा संशोधित)  **नोट:-** उपर्युक्त समस्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति / आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है।  **चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश**  1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।  2. पद / पदों के लिये आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की रिस्ति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:-  (a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।  (b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, किर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।  (c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।  3. **अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर** मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को टीक से काला करके सही—सही भरें जो रैक्नर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। **OMR Answer Sheet** में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा **OMR Answer Sheet** का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (**OMR Answer Sheet**) पर व्हाइटनर, ब्लैड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को टीक से काला न करें और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की रिस्ति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।  **महत्वपूर्ण अनुदेश**  1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।  2. आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2025 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उम्प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) (यह छूट केवल उम्प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उम्प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उम्प्र० वैसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उम्प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति शासनादेश संख्या— 1648 / 79—5—2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उम्प्र० राज्य कर्मचारियों की भाँति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यालय शिक्षकों / कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या— 1508 / 15—08—2015—3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उम्प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।  3. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):— आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा / चयन के लिये शासनादेश संख्या— 22 / 10 / 1976—कार्मिक—2—85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं— (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध एक अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अपडरेटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्वाय पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेचुरी प्रदान की गयी हो।  4. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्थीकार नहीं किया जायेगा।  5. मूल प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाधीक्षक अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, को द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।  6. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।  7. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।  8. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।  9. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल—प्रमाण—पत्र / निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।  9.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेन्डरी / हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण—पत्र।  9.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री / डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।  9.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं 5 / 2022 / 18 / 2008 / 47 / का—2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप—1 में सक्षम प्राविधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।  9.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या—22 / 21 / 1983—का—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम प्राविधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।  9.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी / श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या— 22 / 16 / 92—टी.सी.—III / का—2 / 2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी) / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।  9.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग—2 के पत्रांक 1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का—2 / 19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधिकारों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। ई0डब्ल्यूएस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।  9.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र / पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री / पुत्री की पुत्री, विवाहित / अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में अश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या— 453 / 79—वि—1—15—1(क) 14—2015 दिनांक 07—04—2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।  9.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिषिष्ठ—1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राविधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उम्प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।  **नोट:-** (1) 0प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं 0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18 अप्रैल 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधिक नियमानुसार किया गया है-  दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियो

मुहर ..... पद नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने

वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

.पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, व्यौक्ति वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का  
पासपोर्ट साइज  
का अभिप्राणित  
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र  
स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा .....  
पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील .....  
जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर रित्यत परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दावेदार में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निररक्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकता और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान:- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size  
attested photograph  
(showing face only) of  
the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. ..... son/wife/daughter of Shri ..... Date of Birth (DD/MM/YY) ..... Age ..... years, male/female ..... registration No. ..... permanent resident of House No. ..... Ward/Village/Street ..... Post office ..... District ..... State ..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

- (A) he/she is a case of:  
 locomotor disability  
 dwarfism  
 blindness  
 (Please tick as applicable)
- (B) The diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_
- (A) he/she has ..... % (in figure) ..... percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her ..... (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her ..... (part of body) as per guidelines ..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
(Dr.) ..... Member Medical Board with seal	(Dr.) ..... Member Medical Board with seal	(Dr.) ..... Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

months, and therefore this certificate shall be valid till .... ....

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ..... son/wife/daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY) ..... age ..... years, male/female ..... Registration No. ..... permanent resident of House No. ..... Ward/Village/ Street ..... Post Office ..... District ..... State ..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ..... Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines ..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or  
 (ii) is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till .... .... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member

<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंसोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।</p> <p><b>प्रमाण—पत्र</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... निवासी ग्राम— ..... नगर— ..... जिला— ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंसोधित) के प्राविधिकानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान: ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक: ..... पूरा नाम ..... पदनाम ..... मुहर ..... जिलाधिकारी (सील)</p>	<p>संस्था का नाम ..... मुहर .....  नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;"><b>प्रारूप—1</b></p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।</p> <p>उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण—पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... नाम ..... पद ..... संस्था का नाम ..... मुहर ..... सेवा में,</p> <p>1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 2. समस्त विभागीय, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।</p> <p>कार्मिक अनुभाग—2</p> <p>लखनऊः दिनांक: 24 जून, 2024</p> <p>विषयः— सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकीय वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर चयन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाने के संबंध में।</p> <p>महोदय,</p> <p>उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक अनुभाग—2 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—849 / का—२—२०२१ दिनांक 07.10.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता गणित या गणितीय सांख्यिकीय वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के निर्धारण के संबंध में कार्यक्रम विभाग से अनुरोध किया गया है।</p> <p>2—उल्लेखनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ०प्र० सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग—4 अर्हतायें के प्रस्तर—11 में वर्णित शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है:-</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकीय वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के निर्धारण के संबंध में कार्यक्रम विभाग से अनुरोध किया गया है।</p> <p>2—उत्तर प्रदेश रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण—पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... नाम ..... पद ..... संस्था का नाम ..... मुहर ..... सेवा में,</p> <p>1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 2. समस्त विभागीय, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।</p> <p>कार्मिक अनुभाग—2</p> <p>लखनऊः दिनांक: 24 जून, 2024</p> <p>विषयः— सहायक सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकीय वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के निर्धारण किये जाने के संबंध में।</p> <p>महोदय,</p> <p>उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक अ</p>
--	--